न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 25/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरकरण पुत्र धनपतसिंह जाति जाट निवासी दुगस्ताउ तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार जायल, जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवर लाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांकः 07.09.2022

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 67/2021 सरकार बनाम हरकरण में निर्णय दिनांक 21.02.2022 के तहत मौजा दुगस्ताउ की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.06.2022 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 21.02.2022 की फोटोप्रति, सम्पूर्ण आदेशिका की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति (सन् 1959), नक्श ट्रेस की फोटोप्रति (संवत् 1978–79), खतोनी की फोटोप्रति, ETS सर्वे के नक्शे की फोटोप्रति, सीमांज्ञान रिपोर्ट की फोटोप्रति, ETS सर्वे का नक्शे से मिलान की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 18.06.2021 के पश्चात् पत्रावली कभी भी आदेशिका में उल्लेखित तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं हुई और न ही अपीलांट व उसके अधिवक्ता को कोई तारीख पेश बताई अपीलांट की बिना जानकारी के ही पत्रावली दिनांक 21.02.2022 को तारीख पेशी पर लेकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट को निर्णय की जानकारी प्रथम बार दिनांक 25.05.2022 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई। तब वह जायल गया व पता करने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई तब उसने नकलों के लिये आवेदन पेश किया तथा नकलें मिलने पर अब अपील पेश की। इसलिये अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने से उक्त निर्णय जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद पेश की। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– खेत खसरा नम्बर 1274 के 1/2 हिस्से का अपीलांट खातेदार काबिज काश्तकार है उक्त खेत के साबिका खसरा नम्बर 915 थे और खसरा नम्बर 915 के दक्षिण व पूर्व में साबिका बंदोबस्त में जो कटाणी रास्ता स्थित है जिसकी चौडाई करीब 4 गट्टा है, जबकि सम्वत् 2020 के बंदोबस्त में उक्त रास्ता जो खेत खसरा नम्बर 1272 व 1286 से बताया गया है। उसका मौके व साबिका नक्शे के विपरीत इन्द्राज करके उक्त रास्ते को खसरा नम्बर 1274, 1276 के दक्षिण पूर्व में व खसरा नम्बर 1273, 1274 के उत्तर में 4 गट्टा से कहीं अधिक चौडा करीब 10–12 गट्टा चोडा दर्शा दिया, जबकि उक्त रास्ते के खेतों के दोनों तरफ के खेतों में से कोई जमीन रास्ते के लिये पूर्व बंदोबस्त के पश्चात् नहीं छोडी गई थी और वर्तमान नक्शे में इस गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलांट व अन्य पडौसियों को रास्ते की भूमि खेत खसरा नम्बर 1272 व 1286 पर अतिक्रमी बताया जा रहा है। जबकि अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1274 के दक्षिणी व पूर्व सीमा उसी स्थान पर है तथा उक्त सीमा पर अपीलांट व अन्य पडौसियों के 50–60 वर्ष

अपर कलक्टर, नागौर

पुराने मकान व बाडे बने हुये है। उक्त रास्तों के किसी अपीलांट व पडौसियों का कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि नक्शें के गलत इन्द्राज के आधार पर हमें गलत अतिक्रमी बताया जा रहा हैं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों नक्शों के इन्द्राज पर विचार किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने नाप चोप व मौका निरिक्षण के लिये तथा ई.टी.एस. सर्वे के लिये जो टीम गठित की थी और उक्त टीम ने दिनांक 02.02.2022 को रिपोर्ट प्राप्त की थी। उससे प्रकट होता है कि, खेत खसरा नम्बर 1272, 1274, 1286 का सीमाकन करने से पूर्व कोई पुख्ता मुंतकिल पोईन्ट सुनिश्चित नहीं किया था बल्कि खसरा नम्बर 1353, 1251, 1277, 1278, 1279 व 1280 के चोमडें व खेत खसरा नम्बर 1276 की मेडों से नाप किया, जबकि उक्त मेडे नक्शें में बताई गई सीमाओं के अनुसार मौके पर नहीं है और इसकी पुष्टि मौके पर तैयार की गई ई.टी.एस. सर्वे रिपोर्ट के नक्शें से होती है। इससे प्रकट होता है कि, मुंतकिल पोईन्ट तय करने वाले खसरा की सीमाऐं मौके पर सही स्थान पर नहीं है। इसलिये उक्त गलत नाप रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को खसरा नम्बर 1286 पर अतिक्रमी मानने का जो निर्णय जैर अपील पारित किया है वह अवैध व अनुचित है। अपीलांट का खसरा नम्बर 1272, 1286 पर कोई अतिक्रमणनहीं है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील बिना किसी आधार के पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)– ई.टी.एस सर्वे के नक्शे के अनुसार अपीलांट का खसरा नम्बर 1286 पर कब्जा होना प्रकट नहीं होता है बल्कि खसरा नम्बर 1286 व 1274 के बीच में तो अपीलांट स्वयं के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1274 के पडौसी खसरा नम्बर 1273 का कब्जा है और इस वजह से खसरा नम्बर 1274 की तो खसरा नम्बर 1286 तक उसकी पूर्वी सीमा छूती भी नहीं है। फिर भी पटवारी ने मौके पर जाकर बिना कोई नाप चोप किये अपीलांट का खसरा नम्बर 1286 पर अतिक्रमण बताते हुए नायब तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट पेश की जो गलत है।

{2}(IV)– पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट में अतिक्रमण की भूमि का लम्बाई चौडाई का उल्लेख नहीं है क्योंकि, मौके पर खसरा नम्बर 1286, 1274 का नाप करके कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। पटवारी हल्का ने अपनी इच्छानुसार/ मनमर्जी से अतिक्रमण का रकबा तय करके रिपोर्ट पेश कर दी। जो गलत है और उक्त रिपोर्ट की पुष्टि ई.टी.एस. सर्वे के नक्शे से नहीं होती है। इसलिये मौके पर नाप चोप का पटवारी हल्का ने उल्लेख गलत किया है।

{2}(V)– अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवोकन किये बिना ही विधि विरूद्व आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)– पटवारी हल्का के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र/गवाही भी नहीं ली गई तथा न ही अपीलांट को गवाह से जिरह का अवसर दिया गया। इस प्रकार भी उक्त आदेश जैर अपील अवैध है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा दुगस्ताउ में स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके दुगस्ताउ की राजकीय भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर